न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 23/24 सन् 2024

GCMS NO-2024/ 109

बउनवानीः—1. हनुमान प्रसाद उर्फ श्याम पुत्र माधो माली निवासी खिलचीपुर सवाईमाधोपुर

बनाम

1. गोकल पुत्र छोगा जाति माली निवासी खिलचीपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 720 दिनांक 26.10.1975 वाके ग्राम खिलचीपुर. तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. संदीप शर्मा — वकील अपीलान्टगण

2. श्री विष्णु सोमानी — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 6.8.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 720 दिनांक 26.10.1975 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक माधो की विरासत का नामा0 उसके तीनो पुत्रों क्रमशः गोकुल,रामनारायण व श्याम के नाम खोला गाया लेकिन श्याम का रिकार्ड मे दर्ज असल एवं वास्तविक नाम हनुमान प्रसाद है उक्त नामा0 में गोकुल एवं रामनारायण का नाम तो सही है। अपीलान्ट का सही नाम हनुमान प्रसाद पुत्र माधो माली होने बाबत किये गये कथन के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र इत्यादि पेश किये गये है। यह तर्क भी दिया कि यदि उक्त नामा0 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया होता तो अपीलान्ट का गलत नाम दर्ज होता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया।

वकील रेस्पो द्वारा दौराने बहस कथन किया कि [illegible] प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम श्याम नही है उसका [illegible] हनुमान प्रसाद है यदि उसका नाम हनुमान प्रसाद कर दिया जाता है [illegible] सहखातेदारान एवं राज्य सरकार का किसी प्रकार से हित प्रभावित नही हो [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 720 दिनांक 26.10.1975 अपीलान्ट के पिता माधो पुत्र छग्गा के फोत होने पर उसकी विरासत का दर्ज फैसल किया गया है जिसमे अपीलान्ट का नाम हनुमान प्रसाद के स्थान श्याम अंकित कर दिया गया है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार भी मृतक माधो के विधिक वारिसान में एक पुत्र हनुमान व तीन पुत्रियॉं कमश फूली,धोडी एवं सांवली है तथा श्यामा नाम का कोई पुत्र माधो के नही होना एवं श्यामा का नाम ही हनुमान होना बताया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम हनुमान प्रसाद होने की पुष्टि हो जाती है । इस प्रकार मृतक माधो के सभी वारिसान के नाम नामा0 दर्ज फैसल नही करने एवं अपीलान्ट का गलत नाम होने से आदेश जैर अपील विधिविरूद्व है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 720 निर्णय दिनांक 26.10.1975 वाके ग्राम खिलचीपुर) को अपीलान्ट की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक माधो पुत्र छग्गा माली निवासी खिलचीपुर के उक्त सभी विधिक वारिसान के नाम विरासत का नामा0 भरा जावे एवं अपीलान्ट के सही नाम की पुष्टि कर अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो को रिकार्ड पर लिया जाकर अन्य सहखातेदारान की सहमति उपरान्त पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 6.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner